न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 376/2016 **दायरा दिनांक : 23.11.2016**

उनवान

1— कृष्ण मुरारी आयु 45 साल पुत्र श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— शांतिबाई आयु 44 साल पुत्री श्रीनाथ पत्नी रमेश, जाति मली, निवासी बाहरली बून्दी माताजी के मन्दिर के पास बून्दी जिला बून्दी

3— कांतिबाई आयु 49 साल पुत्री श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— मनभर बाई आयु 42 साल पुत्री श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— मन्जूबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्रीनाथ पत्नी केशरीलाल, जाति माली, निवासी नदी के पास कोटा रोड़ सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा

6— अंजना आयु 36 वर्ष पुत्री श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— रामनाथी आयु 67 साल बेवा श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मूली उर्फ भूली आयु 56 साल पुत्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— मोहनी बाई उम्र 69 साल पुत्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— नाथी उम्र 66 साल पुत्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— संतोषबाई आयु 51 साल पुत्री श्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 377/2016 **दायरा दिनांक : 23.11.2016**

उनवान

1— कृष्ण मुरारी आयु 45 साल पुत्र श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— शांतिबाई आयु 44 साल पुत्री श्रीनाथ पत्नी रमेश, जाति मली, निवासी बाहरली बून्दी माताजी के मन्दिर के पास बून्दी जिला बून्दी

3— कांतिबाई आयु 49 साल पुत्री श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— मनभर बाई आयु 42 साल पुत्री श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— मन्जूबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्रीनाथ पत्नी केशरीलाल, जाति माली, निवासी नदी के पास कोटा रोड़ सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा

6— अंजना आयु 36 वर्ष पुत्री श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— रामनाथी आयु 67 साल बेवा श्रीनाथ, जाति माली, निवासी काला मन्दिर के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मूली उर्फ भूली आयु 56 साल पुत्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— मोहनी बाई उम्र 69 साल पुत्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— नाथी उम्र 66 साल पुत्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— संतोषबाई आयु 51 साल पुत्री श्री लक्खा, जाति माली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.12.2017

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 151/2012 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01.05.2014 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 के द्वारा अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक

दावा अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 918 की खसरा नम्बर 2486 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 2489 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2493 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 2509 रकबा 0.27 हेक्टर, कुल 5 किता की 0.62 हेक्टर आराजी स्थित है । इस आराजी में वादीगण का 1/5 – 1/5 हिस्सा निहित है । जिसे वह पृथक कराना चाहता है । अतः वादीगण का दावा डिक्री कर वादीगण का हिस्सा पृथक किया जाये । अधीनस्थ नयायालय ने दिनांक 01.05.2014 को दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 15.07.2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 376/2016 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.10.2013 को अपीलांटगण का जवाब बन्द कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियम की थी । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं मिली है । वादिनी के द्वारा धारा 53 और 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है जबकि प्रार्थना पत्र में स्थायी निषेधाज्ञा चाही है । रेस्पोडेंटगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । लक्खा जी की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है । रेस्पोडेंटगण के पक्ष में खोला गया विरासत का इंतकाल भी शून्य है इसके बावजूद हिस्सा माना गया है । प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी दिनांक 30.09.2016 को हुई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

की जानकारी दिनांक 30.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 377/2016 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है । अपीलांट से किसी प्रकार की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा नही ंदी गई है । अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया है । अपीलांट का हिस्सा 0.10 हेक्टर कम दर्ज किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । गवाहों से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है । दावा धारा 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । बंटवारा स्कीम में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों

अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.04.2014 को प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है और शेष प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जिरह करने से मना किया है । दिनांक 16.08.2013 की आदेशिका के अनुसार जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था । दिनांक 19.09.2013 को पुनः अंतिम अवसर दिया गया और दिनांक 10.10.2013 की आदेशिका के अनुसार वकील प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं । अतः जवाब बन्द किया जाता है । दिनांक 11.04.2014 की आदेशिका के अनुसार वकील प्रतिवादी ने बहस में भी हिस्सा नहीं लिया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । नकल जमाबंदी एक्जीविट–1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 5 किता की 0.62 हेक्टर आराजी श्रीनाथ पुत्र पांची बेवा मोहनीनाथ, धूली और संतोष पुत्र लक्खा के खाते में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 1653 के अनुसार श्रीनाथ की मृत्यु पर उनके वारिसान का नाम दर्ज किया गया है और पांची बाई का नाम खारिज किया गया है । इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/5 – 1/5 हिस्सा निहित है । अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश नहीं किया है उनका जवाबदावा बन्द होने के उपरान्त जवाबदावा खोलने बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है और वादी के द्वारा पेश किये गये गवाहान से जिरह भी नहीं की है । राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के बाबत प्रारम्भिक डिक्री की अपील में अपीलांट ने मुख्य रूप से

यह आपत्ति की है कि लक्खा जी की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हुई है इस कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा निहित नहीं है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं । ऐसी स्थिति में लक्खा जी की मृत्यु यदि 35 वर्ष पूर्व हुई है तो भी वादीगण को वादग्रस्त आराजी में सम्भाग से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार था इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः अपील अपीलांट संख्या 376/2016 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

जहां तक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश होने का प्रश्न है दावे में वादीगण द्वारा जो सहायता मांगी गयी है वह बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा दोनों की है और शीर्षक में धारा अंकित नहीं होने पर भी वादी के द्वारा जो सहायता मांगी है वह विधिक होने पर दी जा सकती है । वैसे भी संयुक्त खाते की आराजी पर एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल नहीं होता है वरन उनकी ओर से माना जाता है ।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । पत्रावली पर सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है और तहसीलदार को सम्बोधित किया गया है । यद्यपि तहसीलदार के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किये गये हैं । बंटवारा प्रस्ताव के साथ सहखातेदारों की आराजी को पृथक पृथक दर्शाते हुए नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है और प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से को पृथक नहीं किया गया है

वरन वादीगण का हिस्सा एक साथ रखा गया है और प्रतिवादीगण का हिस्सा एक साथ रखा गया है जबकि बंटवारा प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से का पृथक से दर्शाते हुए किया जाना आवश्यक होता है इस दृष्टि से अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 376/2016 सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01.05.2014 यथावत रखा जाता है एवं 377/2016 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2015 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा